



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072020-220722
CG-DL-E-28072020-220722

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 365]
No. 365]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 28, 2020/श्रावण 6, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 28, 2020/SHRAVANA 6, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2020

आय-कर

सा.का.नि. 469(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 115पख की उपधारा (7) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (18 वां संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में,-

(क) नियम 12 गख के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“12गख. धारा 115 पख की उपधारा (7) के अधीन विवरण-

(i) किसी विनिधान निधि द्वारा अपने यूनिट धारक को संदत्त या जमा की गई आय का विवरण, किसी विनिधान निधि की ओर से जमा करने या संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा और विनिधान निधि द्वारा -

(ii) यूनिट धारक को, पूर्ववर्ती वर्ष जिसके दौरान विनिधान निधि की ओर से आय जमा करने या संदत्त करने वाले व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित प्ररूप में आय-कर के प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या महानिदेशक (प्रणाली) या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल से जनरेट और अपलोड करने के पश्चात्, संदत्त या जमा की गई आय, ऐसी रीति में जो उसमें उपदर्शित की गई है, के पश्चात् वित्तीय वर्ष के 30 जून तक, और

(ii) यथास्थिति, आय-कर के प्रधान आयुक्त या आयुक्त को जिसकी अधिकारिता की भीतर विनिधान निधि का प्रधान कार्यालय अवस्थित है, को पूर्ववर्ती वर्ष जिसके दौरान किसी लेखाकार द्वारा सम्यक् रूप से उसमें उपदर्शित रीति में सत्यापित प्ररूप संख्या 64घ में इलैक्ट्रानिकली डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन संदत्त या जमा की गई है, के पश्चात् वित्तीय वर्ष के 15 जून तक दिया जाएगा।

(2) यथास्थिति, आय-कर (प्रणाली) का प्रधान महानिदेशक या आय-कर (प्रणाली) का महानिदेशक,-

- (i) प्ररूप 64घ फाइल करने हेतु प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगा और इस नियम के अधीन इस प्रकार दी गई संदत्त या जमा की गई आय के विवरणों के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय या पुनः प्राप्ति नीतियों को विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा; और
- (ii) प्ररूप 63ग में उसके द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल से विवरण को जनरेट और डाउनलोड करने के लिए प्रक्रिया, रूप विधान और मानक विनिर्दिष्ट करेगा और उसके या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल से प्रमाणपत्रों को जनरेट और डाउनलोड करने के संबंध में दैनिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा।

(ख) परिशष्ट- 2 में प्रपत्र संख्या 64ग और प्रपत्र संख्या 64घ के स्थान पर निम्नलिखित प्रपत्र रखे जाएंगे,-

“प्रपत्र संख्या 64ग

[[नियम 12गख के उपनियम (1) का खंड (i) देखें]]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115पख के अधीन यूनिट धारक को उपलब्ध कराई जाने वाली विनिधान निधि द्वारा वितरित आय का विवरण

1. यूनिट धारक का नाम:
2. यूनिट धारक का पता:
3. यूनिट धारक का स्थायी लेखा संख्या/आधार संख्यांक:
4. पूर्ववर्ती वर्ष जब समाप्त हो रहा हो:
5. विनिधान निधि का नाम और पता:
6. विनिधान निधि का स्थायी लेखा संख्यांक:
7. पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान यूनिट धारक को विनिधान निधि द्वारा संदत्त या जमा की गई [धारा 115 पख की उपधारा (2) के खंड (ii) के अधीन हुई हानि की अनदेखी करने के पश्चात्] आय या हानि के ब्यौरे:

(रूप में)

क्र.सं.	संदत्त या जमा की गई रकम	संदाय या जमा करने की तारीख	आय के शीर्षों के अधीन संदत्त या जमा की गई रकम का ब्रेकअप								
			कारबार या वृत्ति	दीर्घावधि पूंजी लाभ			अल्पावधि पूंजी लाभ			अन्य स्रोत	
				धारा 112 क के अधीन 10% दर पर प्रभार्य	(धारा 112 क से भिन्न) 10 % दर पर प्रभार्य	20% दर पर प्रभार्य	धारा 111क के अधीन 15% दर पर प्रभार्य	30% दर पर प्रभार्य	लागू दर पर प्रभार्य	‘लाभांश’ [धारा 115ण में निर्दिष्ट]*	अन्य (कृपया धारा विनिर्दिष्ट करें यदि कर विशेष दर पर

											लगाया गया हो)
			आय	आय/हानि	आय/हानि		आय/हानि	आय/हानि		आय	आय/हानि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

*[निर्धारण वर्ष 2021-22 से (धारा 115ण में निर्दिष्ट) लोप किया जाएगा। .

8. धारा 115 पख की उपधारा (2क) के निबंधानानुसार 31 मार्च , 2019 (31 मार्च , 2019 यूनिट धारण करने वाले यूनिट धारक को दिया जाए) को हुई समझी गई हानि के ब्यौरे:

(रूप में)

क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	आय के शीर्षों के अधीन हुई समझी गई हानि का ब्रेकअप	
		'दीघविधि पूंजी लाभ'	'अल्पावधि पूंजी लाभ'
(1)	(2)	(3)	(4)

मैं, _____ (पूरा नाम साफ अक्षरों में) पुत्र/ पुत्री/ पत्नी श्री/श्रीमती/सुश्री.....सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि जो कुछ भी ऊपर और उपाबंध (उपाबंधों) में कथन किया गया है, जिसके अंतर्गत ऐसे उपाबंध (उपाबंधों) के साथ संलग्न दस्तावेज हैं, मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है। मैं और घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि मैं ऐसे विवरण(पदनाम) के रूप में अपनी हैसियत में दे रहा हूँ / रही हूँ और मैं ऐसे विवरण को देने और उसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ

आज तारीख _____ को सत्यापित

स्थान _____

हस्ताक्षर

प्रपत्र संख्या 64घ

[नियम 12गख के उपनियम (1) का खंड (ii) देखें]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115पख के अधीन दी जाने वाली विनिधान निधि द्वारा संदत्त या जमा की गई आय का विवरण

- विनिधान निधि का नाम:
- रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता:
- विधिक प्रास्थिति[कंपनी/ न्यास/सीमित दायित्व भागीदारी/ निगमित निकाय:
- स्थायी लेखा संख्यांक:
- पूर्ववर्ती वर्ष जब समाप्त हो रहा हो:
- विनिधान निधि के निदेशकों / न्यासियों/भागीदारों के नाम और पते*:

क्र. सं.	नाम	पता	स्थायी लेखा संख्या/आधार संख्यांक
(1)	(2)	(3)	(4)

7. (i) यदि भारत के प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुकल्पी विनिधान निधि) विनियम, 2012 के अधीन प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के पास अनुकल्पी विनिधान के रूप में रजिस्ट्रीकृत है :

हां/नहीं*

(ii) यदि हां, निम्नलिखित ब्यौरे दें:

- (a) यदि वर्ग I/ II के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं : हां/नहीं*
- (b) रजिस्ट्रीकरण संख्या :
- (c) रजिस्ट्रीकरण की तारीख :

8. (क) पूर्ववर्ती वर्षके दौरान विनिधान निधि की कुल आय :

(ख) [निम्नलिखित सारणी के प्रत्येक शीर्ष के स्तंभ (7) के अधीन कुल रकम] कुल आय का ब्रेकअप:

क्र.सं.	शीर्ष के अधीन	आय/हानि			धारा 115पख की उपधारा (2) के अनुसार हानि मुजरा की जाए	धारा 115पख की उपधारा (2) के निबंधनों में मुजरा हानियों के पश्चात् कुल आय /हानि [(5में से (6) घटाकर]
		रकम	गैर निवासी युनिट धारक के विनिधान में से अपतट विनिधान	कुल [(2) में से (3) घटाकर]		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	कारबार या वृत्ति का लाभ और अभिलाभ					
2.	दीर्घावधि पूंजी लाभ[धारा 112क के अधीन 10% दर पर प्रभार्य (धारा 112क से भिन्न 20% दर पर प्रभार्य]					
3.	अल्पकालिक पूंजी लाभ [धारा 111क के अधीन 15% /30% लागू दर पर प्रभार्य]					
4.	अन्य स्रोतों से आय (लाभांश/अन्य (कृपया धारा विनिर्दिष्ट करें यदि कर विशेष दर पर लगाया गया हो)					

9. (i) पूर्ववर्ती वर्ष की हानियों के ब्यौरे, यदि कोई हों, धारा 115पख की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित के अनुसार अनदेखी किया जाना अपेक्षित है , -

(क) धारा 115पख की उपधारा (2) का खंड (i) का उपखंड (ख):

क्र.सं.	आय का शीर्ष	हानि की रकम
(1)	(2)	(3)
	कारबार या वृत्ति का लाभ और अभिलाभ	

(ख) धारा 115पख की उपधारा (2) का खंड (ii) :

क्र.सं.	आय का शीर्ष	हानि की रकम
(1)	(2)	(3)

(ii) “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन हानियों के व्यौरे, यदि कोई हों:

क्र.सं.	अग्रणीत लाई गई हानि के व्यौरे, यदि कोई हों		पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान [धारा 115पख(2) के अनुसार] मुजरा करने के पश्चात् आय /हानि की रकम	अग्रणीत की जाने वाली हानि की रकम [[5] में से (6) घटाकर]	
	निर्धारण वर्ष	रकम		निर्धारण वर्ष	रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(iii) विभिन्न शीर्षों के अधीन उपरोक्त (ii) पर हुई हानियों का मुजरा करने के पश्चात् कुल धनात्मक आय (सारणी के स्तंभ (7) में पैरा 8(ख) के अधीन-----रकम मुजरा करने के पश्चात् कुल धनात्मक रकम) ;

(क) ‘कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ’ शीर्ष के अधीन आय :

क्र. सं.	रकम	अनुपात (स्तंभ (2) / उपरोक्त 9(iii) पर रकम
(1)	(2)	(3)

(ख) ‘पूँजी लाभ’ शीर्ष के अधीन आय :

क्र. सं.	वर्ग	रकम	अनुपात [स्तंभ 3/उपरोक्त 9(iii) पर रकम]
(1)	(2)	(3)	(4)
1	दीर्घावधि पूँजी लाभ [धारा 112क के अधीन 10% दर पर प्रभार्य]		
2	दीर्घावधि पूँजी लाभ [धारा 112क से भिन्न के अधीन 10% दर पर प्रभार्य]		
3	दीर्घावधि पूँजी लाभ [20% दर पर प्रभार्य]		
4	अल्पावधि पूँजी लाभ [धारा 111क के अधीन 15% दर पर प्रभार्य]		
5	अल्पावधि पूँजी लाभ [30% दर पर प्रभार्य]		
6	अल्पावधि पूँजी लाभ [लागू दर पर प्रभार्य]		

(ग) 'अन्य स्रोत' शीर्ष के अधीन आय :

क्र. सं.	वर्ग	रकम	अनुपात [स्तंभ 3/उपरोक्त 9(iii) पर रकम]
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	लाभांश [धारा 115-ण में निर्दिष्ट]*		
2.	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें यदि कर विशेष दर पर लगाया गया हो)		

*[निर्धारण वर्ष 2021-22 से (धारा 115ण में निर्दिष्ट) लोप किया जाएगा ।

10. 31 मार्च, 2019 को विनिधान निधि के स्तर पर संचित कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अधीन हानि से भिन्न किसी अन्य हानि, यदि कोई हो, के व्यौरे :

निर्धारण वर्ष	आय के विभिन्न शीर्षों के अधीन हानि की रकम		कुल
	दीर्घावधि पूंजी लाभ	अल्पावधि पूंजी हानि	
(1)	(2)	(3)	(4)
2016-2017			
2017-2018			
2018-2019			
2019-2020			
कुल			

11. उपरोक्त 9(i)(ख) में हानि की अनदेखी करने के पश्चात् विभिन्न शीर्षों के अधीन कुल हानि [उपरोक्त सारणी के स्तंभ (7) में 8(ख) के अधीन----- कुल नकारात्मक रकम]:

(i) 'पूंजी लाभ' शीर्ष के अधीन हानि :

क्र. सं.	वर्ग	रकम	अनुपात [स्तंभ 3/उपरोक्त क्र. सं. 11 पर रकम]
(1)	(2)	(3)	(4)
1	दीर्घावधि पूंजी लाभ [धारा 112क के अधीन 10% दर पर प्रभार्य]		
2	दीर्घावधि पूंजी लाभ [धारा 112क से भिन्न के अधीन 10% दर पर प्रभार्य]		
3	दीर्घावधि पूंजी लाभ [20% दर पर प्रभार्य]		
4	अल्पावधि पूंजी लाभ [धारा 111क के अधीन 15% दर पर प्रभार्य]		
5	अल्पावधि पूंजी लाभ [30% दर पर प्रभार्य]		
6	अल्पावधि पूंजी लाभ [लागू दर पर प्रभार्य]		

क्र. सं.	वर्ग	रकम	अनुपात [स्तंभ 3/उपरोक्त क्र. सं. 11 पर रकम]
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अन्य स्रोत (कृपया विनिर्दिष्ट करें यदि कर विशेष दर पर लगाया गया हो)		

(i) धनात्मक आय है :

*[निर्धारण वर्ष 2021-22 से (धारा 115ण में निर्दिष्ट) लोप किया जाएगा।

क्र. सं.	यूनिट धारक का नाम	पता	पैन/आधार सं.	संदत्त/ जमा की गई/ जमा की गई समझी गई कुल	'दीर्घावधि पूंजी लाभ' शीर्ष के अधीन हानि			'अल्पावधि पूंजी लाभ' शीर्ष के अधीन हानि			अन्य स्रोत
					धारा 112क के अधीन 10 % दर पर प्रभाय	धारा 112क से भिन्न के अधीन 10 %दर पर	20% दर पर प्रभाय [स्तंभ 5x क्र.	धारा 111क के अधीन 15% दर पर प्रभाय [स्तंभ 5x क्र. सं.	30% दर पर प्रभाय [स्तंभ 5x क्र. सं. 11(i)पर	लागू दर पर प्रभाय [स्तंभ 5x क्र. सं. 11(i)पर	

				हानि	[स्तंभ 5x क्र. सं. 11(i)पर सारणी का स्तंभ 4(1)]	प्रभार्य [स्तंभ 5x क्र. सं. 11(i)पर सारणी का स्तंभ 4(2)]	सं. 11(i) पर सारणी का स्तंभ 4(3)]	11(i)पर सारणी का स्तंभ 4(4)]	सारणी का स्तंभ 4(5)]	सारणी का स्तंभ 4(6)]	11(ii) पर सारणी का स्तंभ 4(1)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

(iii) 31 मार्च, 2019 को धारा 115पख की उपधारा (2क) के खंड (ii) के निबंधनानुसार समझी गई हानि है -#:

निर्धारण वर्ष*							
क्र. सं.	यूनिट धारक का नाम	पता	पैन/आधार सं०	'दीर्घावधि पूंजी लाभ' शीर्ष के अधीन हानि	'अल्पावधि पूंजी लाभ' शीर्ष के अधीन हानि	कुल	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	

निर्धारण वर्ष 2020-21 से उपरोक्त बिन्दु (iii) का लोप किया जाएगा।

- प्रत्येक निर्धारण वर्ष (2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 and 2019-2020 पृथकतः भरा जाए।)

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुकल्पी विनिधान निधि) विनियम, 2012 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें।

संपरीक्षित लेखे, जिनके अंतर्गत तुलनपत्र, वार्षिक रिपोर्ट, यदि कोई हो, आय के संदाय या आय के जमा (धारा 115पख(6) के उपबंधों के अनुसार जमा की गई समझी गई रकम सहित) आय और विनियोग की सत्यापित प्रतिलिपि सहित प्रति संलग्न करें।

मैं, _____ (पूरा नाम)
पुत्र/पुत्री/पत्नी.....(श्री/श्रीमती/सुश्री)..... सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं/करती हूं कि जो कुछ भी ऊपर उपाबंध (उपाबंधों) में कथन किया गया है, जिसके अंतर्गत ऐसे उपबंध (उपबंधों) के साथ संलग्न दस्तावेज हैं, मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण हैं। मैं घोषणा करता हूं/करती हूं कि ऐसे विवरण.....(पदनाम) के रूप में अपनी हैसियत में दे रहा हूं/रही हूं और ऐसे विवरण देने और उसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं।

आज तारीख _____ को सत्यापित।

स्थान _____ हस्ताक्षर _____

सत्यापन

मैंने/हमने _____ को समाप्त होने वाले पूर्ववर्ती वर्ष के लिए..... (अनुकल्पी विनिधान निधि का नाम) द्वारा यूनिट धारक को संदत्त/जमा की गई आय (धारा 115पख के उपबंधों के अनुसार जमा की गई समझी गई रकम सहित) और अर्जित आय की विशिष्टियों को दर्शाने वाली लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों की परीक्षा की है

2. मैं/हम घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त विशिष्टियां मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

स्थान _____

(लेखाकार का नाम और हस्ताक्षर)

तारीख _____

टिप्पण : 1. “लेखाकार” से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित लेखाकार अभिप्रेत है।

2. सभी रकम भारतीय रुपए में वर्णित की जाएं।

*जो लागू न हो, उसे काट दें।”

[अधिसूचना सं. 55/2020/ फा. सं.142/22/2015-टीपीएल]

नेहा सहाय, अवर सचिव (कर नीति और विधान अनुभाग)

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए और अधिसूचना सं. 464(अ) तारीख 24 जुलाई, 2020 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।